International Journal of Geology, Agriculture and Environmental Sciences
Volume – 9 Issue – 1 January-June 2021 (Special Issue)
Website: www.woarjournals.org/IJGAES *ISSN: 2348-0254*

मोतीलाल नेहरू का व्यक्तित्व एवं कृतित्व

महेन्द्र कुमार
रिसर्च स्कॉलर इतिहास विभाग
सिंघानिया विश्वविद्यालय, बडी पचेरी, झुंझुनूं, राजस्थान

इतिहास व्यक्तियों, घटनाओं और आंदोलनों का वर्णन करता है। इनमें से प्रत्येक कारक के पीछे कुछ विचार होते हैं। ये विचार व्यक्ति की अपनी विशेषता या परिस्थितियों के कारण जन्म लेते हैं। विचारों का पुर्नजागरण, नवीनीकरण और मौलिक रूप सभी प्रभावशाली रूप होते हैं। विचार नष्ट नहीं किये जा सकते। विचारों को भौगोलिक सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता है। विचार ही किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने की प्रेरणा देते हैं। असाधारण व्यक्तित्व के व्यक्तियों के विचार भी असाधारण और स्पष्ट होते हैं। ऐसा ही एक असाधारण व्यक्तित्व पं. मोतीलाल नेहरू का है। पं. मोतीलाल नेहरू को अधिकांश लोग उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू के कारण जवाहरलाल के पिता के रूप में ही जानते हैं। थोड़े से विद्वान उनको राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के लिए जानते हैं। राजनीति शास्त्र और इतिहास के विद्यार्थी मोतीलाल जी को उनकी राजनैतिक उपलब्धियों के लिए याद करते हैं लेकिन इन सब बातों से अलग मोतीलाल जी असाधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उनकी उपलब्धियां अद्भुत थी। राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान अभूतपूर्व था और वे मौलिक विचारों के धनी व्यक्ति थे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके विचार स्पष्ट और मौलिक थे जिनका प्रभाव उनके युग पर ही नहीं बल्कि आज तक स्वतंत्र भारत पर पड़ रहा है। उनके विचार पं. जवाहरलाल नेहरू के विचारों के आधारशिला और लगभग पर्यायवाची दिखाई देते हैं।

पंडित मोतीलाल नेहरू आधुनिक भारतीय इतिहास के एक असाधारण व्यक्ति हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक इतिहास में उनका विशेष योगदान रहा है। उनके कार्यों की महत्ता बी.आर. नन्दा आदि लेखकों ने रेखांकित की है। उनके कार्यों से अधिक उनके विभिन्न विषयों पर प्रकट किये गये विचार महत्वपूर्ण है। उनके लगभग 360 टेलीग्राम, 947 पत्र, व्यवस्थापिका में की गई लगभग 120 बहसें, 195 भाषण तथा 111 के लगभग प्रेस को दिये गये वक्तव्य और साक्षात्कार आदि उपलब्ध है। इनसे उनके विचार स्पष्ट हो जाते हैं जो आगे के अध्यायों में स्पष्ट हो जायेंगे। मोतीलालजी के विचारों का अध्ययन करने से पूर्व उनका जीवन परिचय और उनके कार्यों का संक्षिप्त परिचय देना उचित है।

मोतीलाल नेहरू का भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय कार्य को एक विशेष नेतृत्व दिया और इस कार्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। मोतीलाल जी के पूर्वजों का लिखित प्रमाण नहीं मिलता है लेकिन पं. जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में जो वर्णन किया है वो इस प्रकार है– 'हम कश्मीरी थे। 200 साल से ज्यादा से पहले 18वीं सदी की शुरूआत में हमारे पूर्वज वहां से नीचे मैदानों में आए थे– राज कॉल हमारे उस पूर्वज का नाम था और उन्होंने संस्कृत और फारसी विद्वान के रूप में ऊंचाई पाई थी। जब सम्राट फरूखसियर कश्मीर गया तो उसने राज कॉल के बारे में सुना। सम्राट के कहने पर 1716 में परिवार दिल्ली पहुंचा। वहां नहर के किनारे उनको एक जागीर दी गई जहां वे रहते थे इससे उनको नेहरू कहा गया। परिवार काल था इसलिए प्रारंभ में उन्हें कॉल नेहरू कहा गया। बाद के वर्षों में काल हट गया और हम नेहरू रह गये।

मोतीलाल नेहरू के बाबा लक्ष्मी नारायण नेहरू दिल्ली में मुगल दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले वकील बने और उनका बेटा गंगाधर नेहरू दिल्ली का कोतवाल बना। 1857 में गदर के समय गंगाधर नेहरू अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ आगरा पहुंचे। वहां फरवरी 1861 में 34 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के 3 महीने बाद 6 मई 1861 को आगरा में उनकी विधवा पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मोतीलाल नेहरू रखा गया। 1857 के गदर में नेहरू परिवार का सब कुछ छिन गया था तथा घर के मुखिया की मृत्यु ने परिवार को अत्यधिक संकटों में डाल दिया। इस प्रकार प्रारंभ में से ही मोतीलाल का विकास अभाव व कठिनाइयों में हुआ। उनके बड़े भाई नंदलाल नेहरू जो वकील बन कर इलाहाबाद चले गए थे उन्होंने मोतीलाल जी का लालन पालन किया। उस समय इलाहाबाद वर्तमान उत्तरप्रदेश की राजधानी था।

मोतीलाल बचपन से ही जोशीले स्वभाव के तीव्र बुद्धि और दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति थे। इलाहाबाद में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक उन्नति बहुत हुई थी। जिससे मोतीलाल जी बहुत प्रभावित हुए।

नंदलालजी जब खेतड़ी, राजस्थान गए तब मोतीलालजी भी उनके साथ गए। वहां उन्होंने काजी सदरूद्दीन से फारसी भाशा का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद मोतीलालजी अपने बड़े भाई बंशीधर के पास कानपुर पहुंचे वहां उन्होंने सन् 1873 में शिक्षा ग्रहण प्रारंभ की। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर में हुई थी और यहीं से उन्होंने हाईस्कूल की परीक्षा पास की। फिर 1879–82 तक उन्होंने म्योर सेन्ट्रल कॉलेज, इलाहाबाद में अध्ययन किया। यहां उन्होंने अंग्रेजी जीवन की स्वतंत्रता और उन्नति के सिद्धान्त ग्रहण किये और जीवन के प्रति तर्कपूर्ण दृष्टिकोण विकसित किया। उन पर हिन्दू मुस्लिम संस्कृति का समन्वित रूप से बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इसके पश्चात् उनका विवाह 1882 में स्वरूप रानी के साथ हुआ। वे हिन्दू परंपराओं में विश्वास करने वाली धार्मिक महिला थी। उन्होंने अपने पुत्र जवाहरलाल को पुराणों से हिन्दू संस्कृति से संबंधित प्राचीन कहानियां सुनाई।

विवाह उपरान्त 1883 में मोतीलाल ने पृथ्वीनाथ के निरीक्षण में कानपुर में वकालत का कार्य प्रारंभ किया। कुछ ही समय पश्चात् 1886 में उन्होंने इलाहाबाद में वकालत करने का निर्णय लिया। वकालत में उनके गुणों ने और उनकी मेहनत करने की आदत ने उनको सफल बनाया। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उनके बारे में कहा था कि वे अपने मुकदमे को सबसे ज्यादा आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करते थे। प्रत्येक तथ्य उचित स्थान पर रहता था। इटावा केस को पं. मोतीलाल नेहरू ने जितने अच्छे तरीके से संभाला था उतनी अच्छी तरह दुनियां की किसी अदालत में कोई व्यक्ति नहीं संभाल सकता था।

वकालत में उन्होंने अत्यधिक सफलता पाई और अपार धन एकत्र किया। वे भारत के प्रमुखतम वकीलों में से एक माने जाते थे।

राष्ट्रीय राजनीति में आने के पहले से ही 1888 में वे कांग्रेस से जुड़ गये थे। उस समय इलाहाबाद में वे कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि बने। सन् 1889 में उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। मोतीलाल नेहरू नागपुर (1891) कांग्रेस अधिवेशन में विषय समिति के सदस्य बने। वे इलाहाबाद में आयोजित दसवें कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के सचिव रहे। 1899 में उन्होंने यूरोप की प्रथम यात्रा की। वापस आकर उन्होंने शुद्धि संस्कार से इन्कार कर दिया। उन्होंने 22 दिसंबर 1899 को पृथ्वीनाथ चक को लिखे पत्र में लिखा–मैंने निर्णय कर लिया है मैं प्रायश्चित नहीं करूंगा चाहे मुझे इसके लिए मरना क्यूं ना पड़े। मुझे उत्तेजित कर दिया गया है और मुझे एकान्तवास से सार्वजनिक जीवन में घसीट लिया गया है लेकिन मेरे विरोधी मुझे झुका नहीं पायेंगे।

सन् 1905 में वे पुनः यूरोप यात्रा पर गए, इस बार वे अपने पूरे परिवार के साथ गए तथा अपने पुत्र जवाहर लाल का हारों के स्कूल में दाखिला करा कर लौटे। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ सका जो समय के लिए आवश्यक न हो। उन्होंने जवाहर को सलाह दी कि भारत में एक सार्वजनिक व्यक्ति को आर्थिक वित को अवश्य ध्यान से पढ़ना चाहिए। वापस आकर उन्होंने 1906 और 1907 में हुए क्रमशः बनारस और कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशनों में भाग लिया। मार्च 1907 में इलाहाबाद के प्रथम यू.पी. प्रान्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने दिसम्बर 1907 के सूरत अधिवेशन में भाग लिया।

अगस्त 1909 में मार्ले मिन्टों सुधारों के बारे में उन्होंने लिखा कि 'इन तथाकथित सुधारों का उद्देश्य पढ़े लिखे वर्गों के प्रभाव को नश्ट करना है। इसी वर्ष तृतीय यू.पी. सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसी वर्ष 'द लीडर' नाम से समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। वे खुद इस समाचार पत्र के संचालक मंडल के अध्यक्ष बने। 1910 में उन्होंने यू.पी. लेजिस्लेटिव कौंसिल की सदस्यता ग्रहण की। यहां जो उनको अनुभव हुए उनका उन पर स्थायी प्रभाव पड़ा क्योंकि वे गवर्नर की शक्तियों को बजट पर बहस के बाद प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर चुके थे। 1911 के दिल्ली दरबार में भी वे उपस्थित थे। बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने जवाहरलाल के साथ भाग लिया। यद्यपि 1916 के लखनऊ समझौते में उन्होंने प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया लेकिन हिन्दू मुस्लिम समझौते का कार्य इलाहाबाद में उनके घर में एक बैठक में हुआ था। जून 1917 में उन्होंने

होमरूल लीग की सदस्यता ली तथा इसकी इलाहाबाद शाखा के अध्यक्ष बने। इससे प्रकट हो रहा था कि वे उदारवादी विचारधारा की स्थिति से दूर हो रहे थे इस उदारवादी स्थिति पर वे 10 साल से अधिक तक चले थे।

अगस्त 1917 में मोतीलालजी ने विशेष यू.पी. प्रान्तीय सभा की अध्यक्षता की। वर्ष के अंत में जब भारत मंत्री मॉन्टेग्यू भारत की स्थिति को जानने के लिये भारत आए तो उन्होंने मोतीलाल नेहरू से भी मुलाकात की। अगस्त 1918 में उन्होंने प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौन्सिल में मॉन्टेग्यू के प्रस्तावों पर चर्चा हुई तो उन्होंने उन प्रस्तावों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया अर्थात् वे द्वैध शासन से सहमत नहीं थे। उन्होंने दिसम्बर में बम्बई के विशेष कांग्रेस–अधिवेशन में भाग लेने का निर्णय किया तथा आगामी संवैधानिक अधिनियम के स्वरूप के प्रश्न पर उदारवादी साथियों का साथ छोड़ दिया। उन्होंने 1919 में रौलट विधेयक का विरोध किया तथा इसके विरूद्ध इलाहाबाद में आयोजित जनसभा की अध्यक्षता की। यह मोतीलालजी का ही साहस था कि उन्होंने रौलट एक्ट को 'ब्लैक एक्ट' कहा था। इसी समय इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया।

पंजाब में जब जून 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब उन्होंने पंजाब की यात्रा की तथा खुद तथ्यों का अवलोकन किया। मोतीलाल नेहरू के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया था। मोतीलाल ने भारत सचिव मॉण्टेग्यू और इंडियन कौन्सिल के सदस्य लार्ड सिन्हा से अपील की कि वे पंजाब में अंग्रेजों की बदले की भावना के शिकार हुए लोगों को कानूनी सहायता देने में अनुमति प्रदान करें। कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में जो उन्होंने अध्यक्षीय भाषण दिया उसमें उनके विचारों में आए परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दिये। उन्होंने कहा 'यदि व्यक्तियों के साधारण अधिकार हमको मना किये जाते हैं तो सुधारों की सारी बातें मजाक है जब हण्टर कमेटी की रिपोर्ट आई तो उन्होंने जवाहरलाल को लिखा 'सारांशों को जो तुमने मुझे भेजे हैं पढ़ कर मेरा खून खौल रहा है। हमें विशेष कांग्रेस बुलानी चाहिए और बदमाशों के लिए एक नरक बना देना चाहिए ।

उन्होंने सितम्बर 1920 के कलकत्ता के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। मोतीलाल जी के व्यक्तित्व की विशेषता उनकी जिम्मेदारी की भावना थी। गांधीजी की राजनीति की ओर उनका परिवर्तन और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को स्वीकार करना विद्वानों में विवाद का विषय रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस प्रश्न पर कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के कई महीनों पहले तक मोतीलालजी ने काफी सोच विचार किया था। 'उनके तर्क जिसमें एक वकील का दिमाग भी जुड़ा हुआ था ने असहयोग आंदोलन के पक्ष और विपक्ष में खूब सोचा था और तब उन्होंने अंतिम निर्णय लिया और गांधी के अभियान में सम्मिलित हुए।' मोतीलाल ने 1921 में गांधीजी को अपने सत्याग्रही जीवन के बारे में लिखा 'इससे अच्छा जीवन मैंने कभी नहीं बिताया है।' उनका घर आनन्द भवन उत्तरप्रदेश के राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया। दिसंबर 1921 में वे इलाहाबाद में गिरफ्तार हुए। मोतीलालजी को जवाहरलाल के साथ लखनऊ जेल में रखा गया था। जब गांधीजी ने अपना आंदोलन चौरीचौरा दुर्घटना के कारण वापस लिया तो मोतीलालजी स्तब्ध हो गये। जून 1922 में वे जेल से रिहा हुए और आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लिया। फिर दिसंबर 1922 में गया कांग्रेस में भाग लिया।

मोतीलालजी जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने तथा देशबंधु चितरंजनदास इसके अध्यक्ष बने। गांधीजी के अनुयायी होते हुए भी अनेक मौलिक विषयों पर उनके विचार भिन्न थे। वे स्वराज दल के संस्थापक रहे। इससे प्रकट होता है कि राजनैतिक स्थिति का वे स्वतंत्र मूल्यांकन करते थे और अपने स्वतंत्र निर्णय लेते थे। सी.आर. दास बंगाल की राजनीति में अधिक व्यस्त थे। इसलिए स्वराज दल का राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतर कार्य मोतीलाल नेहरू ने ही किया। सितम्बर में परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच समझौता कराया। अक्टूबर से नवम्बर के बीच चुनाव अभियान में व्यस्त रहे। चुनाव के बाद वे केन्द्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी के नेता थे। स्वराज पार्टी केंद्रीय विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। उस सभा में मुहम्मद अली जिन्ना, मदनमोहन मालवीया, लाला लाजपतराय, सर पुरूषोत्तम दास ठाकुरदास, सर मेलकाम हैली और सर एलेक्जेंडर मुड़ीमैन जैसे लोग सदस्य थे। फरवरी 1924 मेंकेंद्रीय असेम्बली में राष्ट्रीय मांग को प्रस्तावित करते हुए महत्वपूर्ण भाषण दिया। केन्द्रीय सभा में उन्होंने अन्य दलों से व्यवहार करने में प्रशंसनीय सूझबूझ दिखाई। उन्होंने रूकावट की नीति को निर्धारित किया जिसका प्रान्तीय और केंद्रीय विधान मंडलों में स्वराज वादियों ने सफलता से प्रयोग किया। मोतीलाल नेहरू

ने उस सभा में मुस्लिम और उदारवादी सदस्यों को स्वराज पार्टी सदस्यों से मिलाकर इंडियन नेशनलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया जिसने केन्द्रीय विधानसभा में सरकार को सफल चुनौती दी।

इन सभी गैर सरकारी सदस्यों के संयुक्त मोर्चे की वजह से रूकावट की नीति सफल रही। वहां उन्होंने एमेन्डमेंट प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि एक गोलमेज सम्मेलन के द्वारा एक नया संविधान बनाया जाए। यह कदम क्रांतिकारी था क्योंकि इसके पहले 1919 के संविधान के रिव्यू के लिए एक रायल कमीशन को नियुक्त करने की मांग की गई थी। मोतीलाल नेहरू के प्रस्ताव पर 76 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया तथा विरोध में 48 मत पड़े थे। सरकारी बजट को मोतीलाल नेहरू ने अस्वीकृत करा दिया जिसे बाद में वायसराय ने अपनी विशेष शक्तियों से पास किया। संसदीय तौर तरीकों के ज्ञान, भाषण देने की कला और विश्लेषण करने की शक्ति के प्रयोग से उन्होंने स्वयं को अद्वितीय सांसद सिद्ध कर दिया।

मार्च से अप्रेल माह में गांधीजी से वार्ता की तथा नवंबर में मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास और गांधीजी ने संयुक्त बयान दिया। मोतीलालजी की सफलता से प्रभावित होकर दिसंबर 1924 में गांधीजी ने कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में स्वराज दल को कांग्रेस का एक हिस्सा मान लिया। जून 1925 में सी.आर. दास का निधन हो गया जिससे मोतीलालजी को गहरा दुःख हुआ। उन्होंने नवंबर में असेम्बली में 'राष्ट्रीय मांग' को पुनः पेश किया।

मार्च 1926 में असेम्बली एवं कौंसिलों से स्वराजियों ने बहिर्गमन किया क्योंकि स्वराज दल के लोगों के लिए सरकारी पद लेना मना था। जबसेन्ट्रल प्राविन्स में स्वराज दल के एस.एस.ताम्बी ने गवर्नर की एक्जीक्यूटिव कौन्सिल में सदस्यता ग्रहण की तो मोतीलाल नेहरू ने ऐसे लोगों के प्रति कठोर रूख अपनाया और पार्टी के सम्मान के लिए 8 मार्च को केन्द्रीय विधानसभा को अपने सभी साथी सदस्यों के साथ छोड़ दिया। मोतीलालजी का विचार था कि स्वराजवादी अंग्रेजों के प्रभाव में जाकर स्वराज पार्टी की राजनीति को बर्बाद न कर दें।

1926 के चुनाव अभियान में वे अक्टूबर से नवम्बर तक व्यस्त रहे। जिस समय स्वराज पार्टी विधानसभाओं में कार्य कर रही थी उस समय भारत के विभिन्न हिस्सों में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इन घटनाओं से मोतीलालजी बहुत चिंतित रहे। अगस्त 1927 में उन्होंने यूरोप यात्रा की। कांग्रेस की राजनीति का अंग्रेजों पर प्रभाव पड़ा और नवंबर 1927 में साइमन–कमीशन की नियुक्ति की घोषणा हुई। मोतीलाल नेहरू फरवरी 1928 में स्वदेश वापस लौटे तथा कमीशन के बहिष्कार आंदोलन में भाग लिया। साइमन कमीशन के असफल होने पर भारतमंत्री निकिल हेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। जो सभी भारतीयों को मान्य हो।

इसके जवाब में एम.ए. अन्सारी की अध्यक्षता में भारतीयों ने सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जिसने एक उपसमिति मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाई जिसे भारत के लिए संविधान बनाने का काम सौंपा गया। इस समिति के सदस्यों में सर तेजबहादुर सप्रू सदस्य थे। इस उप समिति ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की जिसका भारत के संवैधानिक इतिहास में एक विशेष स्थान है। नेहरू समिति द्वारा तैयार यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिवेदन था जिसमें औपनिवेशिक स्वराज की बात कही गयी थी। नेहरू रिपोर्ट में मोतीलालजी ने सुझाव दिया कि संविधान में अधिकारों का वर्णन हो जिसमें धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सम्मिलित किया जाए इसके अलावा उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त और सिन्ध को प्रान्त का दर्जा मिले। पृथक निर्वाचन क्षेत्र समाप्त कर दिये जाये लेकिन सभी विधानमंडलों में मुसलमानों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाए। संविधान का स्वरूप एकात्मक (यूनिटरी) हो। नेहरू रिपोर्ट राष्ट्रीय आंदोलन की अमूल्य विरासत है। नेहरू रिपोर्ट ने उन मौलिक सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया जिनको बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान में सम्मिलित कर लिया गया।

इस प्रतिवेदन पर सर्वदलीय सम्मेलन में विचार होना था। मोतीलालजी प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को समझते थे तथा वैचारिक मतभेद होने पर भी वे गुणों की प्रषंसा करते थे। उन्होंने लिखा है कि 'मंत्री मंडल के सरकारी सदस्यों के लगातार यह कहने से कि एक मकड़े ने (मोतीलाल) ने एक मक्खी (जिन्ना) को निगल लिया है, जिन्ना पर बहुत प्रभाव डाला है, फिर भी यह प्रषंसनीय है कि उसने संतुलन बनाये रखा है। वे जानते

थे कि जिन्ना ही लीग को नेतृत्व दे सकतेथे। उनके बगैर बहुत कठिनाई होगी। वे इस समय जिन्ना के भारत में न होने से बहुत परेशान थे तथा लगातार उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। परन्तु वे जिन्ना की इस कमजोरी को भी समझते थे कि जिन्ना मुसलमानों में अपने प्रभाव को खोने से डरते हैं और इसलिए प्रतिक्रियावादियों के प्रस्ताव भी मान लेते हैं।

नेहरू रिपोर्ट राष्ट्रीय आंदोलन की अमूल्य विरासत है। नेहरू रिपोर्ट ने उन मौलिक सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया जिनको बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया।

दिसम्बर 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ तथा कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसमें नेहरू रिपोर्ट पर विचार हुआ। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज की बात पर बल दिया गया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की बात उठाई। गांधीजी के हस्तक्षेप से यह निर्णय हुआ कि कांग्रेस औपनिवेशिक स्वराज पर एक साल तक जोर डालेगी। यदि अंग्रेज सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो फिर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया जायेगा। लार्ड इरविन ने अपने शब्दों से ऐसा प्रकट किया कि अंग्रेज सरकार औपनिवेशिक स्वराज को मान लेगी। मुस्लिम नेताओं ने मार्च 1929 में एक सम्मेलन में इसका विरोध किया, संघात्मक संविधान की बात उठाई और पृथक निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने से इन्कार कर दिया। 23 दिसंबर 1929 को मोतीलाल नेहरू गांधी और सप्रू के साथ लार्ड इरविन से मिले लेकिन समझौता नहीं हो पाया और 29 दिसंबर के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का निर्णय किया गया। नेहरू रिपोर्ट अस्वीकृत हो गई थी परन्तु रिपोर्ट का 1935 के एक्ट पर बहुत प्रभाव पड़ा।

7 फरवरी 1930 को मोतीलाल नेहरू ने डॉ. अंसारी को लिखे पत्र में लिखा कि इस आयु में शारीरिक कमजोरियों के होते हुए भी, पारिवारिक जिम्मेदारियों के होते हुए भी 'मैं देश की आवाज सुन रहा हूं और मैं इसकी आज्ञा को मानूंगा।' इसका अर्थ यह था कि अब मोतीलालजी ने औपनिवेशिक स्वराज की बात को छोड़कर पूर्ण स्वराज की बात को मान लिया था। फरवरी में कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा आगामी आंदोलन के स्वरूप पर विचार किया गया। मार्च 1930 में गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। डॉ. अंसारी ने 30 मार्च को गांधीजी को लिखे अपने पत्र में लिखा कि लगातार परिश्रम से मोतीलालजी जिनको दिल की सूजन की बीमारी बताई गई थी का स्वास्थ्य बुरी तरह खराब हो रहा है। पं. मोतीलाल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल को अपना आनंदभवन देश के कार्यों के लिए सौंप दिया था।

इतने बीमार होने पर भी मोतीलाल जी सविनय अवज्ञा आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने कहा था कि 'आने वाले संघर्ष में गांधीजी के साथ मैंने अपना भाग्य जोड़ लिया है। इस आयु और मेरी शारीरिक अयोग्यताओं के साथ जो खतरे मैं उठा रहा हूं उसके लिए मुझे इस विश्वास ने मजबूर किया है कि महान कार्य और त्याग करने का समय आ गया है।' अप्रेल से जून तक मोतीलाल नेहरू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर में कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। 30 जून को आंदोलन के दौरान उन्हें इलाहाबाद में अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। उनको नैनी जेल में जवाहरलाल के पास पहुंचा दिया। राष्ट्रीय आंदोलन तेजी से चल रहा था। लार्ड इरविन के प्रोत्साहन से सप्रू और जयकर ने कांग्रेस नेताओं और अंग्रेजों के बीच समझौता कराने की कोशिश की। अगस्त में मोतीलाल नेहरू ने यरवदा–वार्ता में भाग लिया। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने गांधीजी को सरकार से वार्ता करने में कठोर दृष्टिकोण अपनाने को कहा।

11 सितंबर 1930 को अत्यधिक खराब स्वास्थ्य के आधार पर पं. मोतीलाल को जेल से रिहा कर दिया गया। जनवरी 1931 में जब जवाहरलाल नेहरू जेल से बाहर आये तब मोतीलाल की शारीरिक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मोतीलालजी से जब गांधीजी मिले तो मोतीलालजी ने कहा कि मैं स्वराज्य देखने के लिए नहीं बचूंगा। 'मैं जानता हूं आपने इसे जीत लिया है और बहुत जल्दी इसे पा लेंगे।' शीघ्र ही 6 फरवरी 1931 को मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। मृत्यु से कुछ समय पूर्व उन्होंने कहा था, 'मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था, परन्तु मेरी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी।'

मोतीलालजी के जीवन को एक वकील एक उदारवादी नेता और उग्र राष्ट्रवादी के रूप में समझा जा सकता है। जब वे वकालत में सर्वोच्च सफलता पा चुके थे अपार धन संपत्ति अर्जित की थी और वे वैभव और विलासिता का जीवन व्यतीत कर सकते थे। तब उन्होंने स्थानीय राजनीति, फिर प्रान्तीय राजनीति और फिर राष्ट्रीय राजनीति में अपना योगदान दिया। 1918 तक उन्होंने अपने उदारवादी मित्रों को छोड़ दिया था और वे उग्र राष्ट्रीय बन चुके थे। 1919 में उनके विचार निश्चित बन चुके थे और वे गांधीजी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में सबसे आगे रहे। उनकी स्वराज पार्टी की स्थापना से संसदीय राजनीति की कला कांग्रेसियों ने सीखी जिसका लाभ 1937 की कांग्रेस की सरकारों को मिला और जिसका लाभ भारत के स्वतंत्र होने पर 1947 में कांग्रेसी नेताओं ने उठाया। उनकी समझदारी और बुद्धि कौशल को सब मानते थे। मोतीलालजी ने लिखा है कि 'मुझे सिंहासन के पीछे की शक्ति की उपाधि मिली है क्योंकि कमाण्डर इन चीफ प्रकरण में पटेल, जो कि केन्द्रीय विधानसभा के सभापति थे, ने कहा कि उत्तर देने से पहले वे मुझसे सलाह लेंगे।' उनके द्वारा सुझाया गया औपनिवेशिक स्वराज का सिद्धान्त अगर मान लिया जाता तो विभाजन को रोका जा सकता था। उनकी नेहरू रिपोर्ट का भारत के वर्तमान संविधान पर प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार मोतीलाल जी के कार्य, उपलब्धियां और विचार अभूतपूर्व थे। उनके विचारों का विस्तार से वर्णन आगामी अध्यायों में किया जायेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. J.L. Nehru, an autobiography, p.1.
2. Diary of Pandit Moti Lal Nehru
3. S.P. Chablani & Preet Chablani: Motilal Nehru, 1961, P. 23 to 25
4. A full sight biography of Pandit Motilal by B.R. Nanda.
5. S.P. Chablani & Preet Chablani, Motilal Nehru, 1961, P. 84
6. Letter to Pirthinath Chak, 22, December 1899, Motilal Nehru Papers.
7. S.P. Chablani & Preet Chablani: Motilal Nehru, 1961, P.28
8. S.P. Chablani & Preet Chablani: Motilal Nehru, 1961, P. 27.
9. Letter to Jawahar Lal Nehru, 30 August 1909, Jawahar Lal Nehru Papers.
10. Nainda, op.cit. (n.8.), P 126
11. Ref. Congress Adhiveshan 27 Dec. 1919, Amritsar
12. Ref. Nanda, op.cit. (n.8), P.175
13. Ref. Jawahar Lal Nehru, An Autobiography, Page.65
14. Letter to Tej Bahadur Sapru, 28 February 1928, Motilal Nehru Papers
15. Letter to M.S. Aney, 18 August 1928, M.S. Aney Papers
16. Letter to Mahatma Gandhi, 2 October 1928, Gandhi Papers
17. Letter to Jawahar Lal Nehru, 22 March, 1928, Jawahar Lal Nehru Papers

Advertisement

International Journal of Engineering and Technical Research

https://www.erpublication.org/ijetr/page/home

ISSN: 2321-0869 (O) 2454-4698 (P)

Impact Factor: 2.19 [According Google C. Report] | SJIF: 5.713 | PIF: 4.361

Call for Research Papers

Mail your paper at:
editor.erpublication@gmail.com **OR**
editor@erpublication.org

Engineering Research Publication

www.erpublication.org